सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2019/00082

न्यायालय श्रीमान्, उपखण्ड अधिकारी, सैंपऊ जिला धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री हरि सिंह लम्बोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :— 40/2019

दुर्गसिंह पुत्र पहाड़ सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम कूंकरा तह0 सैंपऊ जिला धौलपुर

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये
1. जिला कलक्टर, धौलपुर
2. तहसीलदार, सैंपऊ

.....प्रतिवादीगण

उपस्थिति :— दावा अर्न्तगत धारा 88 व 89 आरटी एक्ट

1. श्री निशांत भार्गव अधिवक्ता वादी की ओर से

::—निर्णय ::— दिनांकः 18.09.2019

वादी ने यह वाद पत्र इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम कूंकरा—मांकरा (वर्तमान में कूंकरा) स्थित आराजी खसरा गत 280 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा तथा 291 रकवा 1 बीघा जिनके वर्तमान खसरा नम्बर क्रमशः 526 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा तथा 527 रकवा 17 विस्वा बने है व के खातेदार कृषक वादी व उसका भाई हरिसिंह थे। हरीसिंह लाबल्द फौत हो गये। उनकी विरासत उनके खास भाई वादी दुर्गसिंह ने प्राप्त की इस प्रकार वादी विवादित आराजी का खातेदार कृषक है तथा काबिज हैं। दावा दायरी से कुछ समय पहले जब वादी ने अपने निजी कार्य से पटवारी हल्का से नकल जमाबन्दी हासिल की तो उसे ज्ञात हुआ कि उसका नाम राजस्व अभिलेखों में खातेदार के स्थान गेर खातेदार के रूप से दर्ज हैं। इस पर वादी ने पुराने राजस्व अभिलेखों की नकल हासिल की तो उसे ज्ञात हुआ कि बंदोबस्त विभाग ने बिना किसी अधिकार के वादी का नाम गेर खातेदार के रूप में अंकित कर दिया जिसका उसे अधिकार नही था। वादी ने प्रतिवादीगण से अनेकों बार मौखिक व लिखित रूप में उसका नाम खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया परंतु कोई निष्कर्ष नही निकला। इस पर वादी ने अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रतिवादीगण को नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0दी0 प्रेषित किये परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी ने स्वंय को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किये जाने की प्रार्थना की।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। परन्तु बावजूद सूचना कोई उपस्थित नही आया।

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ (धौलपुर)

वादी ने दस्तावेदजी साक्ष्य में नकल नोटिस, पटा रसीद रजि.एडी, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2015–18, नकल नामांतरण कं 84, नकल जमाबंदी सवंत 2010–13 नकल खसरा भू–प्रंबध विभाग प्रस्तुत किये तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 दुर्गसिंह तथ पी.डब्लूयू टीकम सिंह के बयान कराये।

बहस विद्वान अभिभाषक वादी सुनी गई तथा पत्रावली का गंहन अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में जो बिंदू विचाराधीन है उसके अनुसार यह देखना है कि क्या वादी की स्थिति बंदोबस्त से पूर्व खातेदार की थी तथा बंदोबस्त ने उन्हें गलत रूप से गैर खातेदार दर्ज कर दिया।

इस संबंध में जब हम पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करते है तो उससे जो निष्कर्ष निकल कर सामने आता है कि उसके अनुसार विवादित आराजी हरीसिंह व दुर्गसिंह की जमींदारी की थी। उन्होंने विवादित आराजीयात कुछ समय तक दीगर लोगों से काश्त कराई तथा सम्वत 2016 में उन्होने विवादित आराजीयात को स्वंय अर्थात खुद काश्त के रूप में काश्त करना शुरू किया। सम्वत 2016 में ही राजस्तान जंमीदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 प्रभाव में आया। उक्त अधिनियम की धारा 29 सपठित धारा 13 राजस्थान काश्त अधिनिमय के अनुसार जो जंमीदार सम्वत 2016 में आराजी को स्वंय अर्थात खुदकाश्त करते थे उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त होंगे। राजस्थान काश्तकार अधिनियम के किसी भी प्रावधान में गैंर खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह भी साबित है कि बंदोबस्त पूर्व वह विवादित आराजीयात के खातेदार थे। बंदोवस्त विभाग को पूर्व के इन्द्राजात को बदलने का कोई अधिकार हासिल नही था। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से वादी का विवादित आराजी का खातेदार कृषक होना साबित होता हैं।

आदेश

अतः आदेश है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को विवादित खसरा नम्बर हाल 526 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा तथा 527 रकवा 17 विस्वा स्थित वाके ग्रम कूंकरा–मांकरा (वर्तमान में कूंकरा) का गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजस्व अभिलेखों में तद्नुसार इन्द्राज किये जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को खुले न्यायालय में, मेरे हस्ताक्षर व मौहर अदालत से जारी किया गया।

(हरिसिह लंम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ (धौलपुर)

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई
अंज अदालत – उपखण्डाधिकारी सैपऊ
व इजलास –हरिसिह लम्बोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या :– 40/2019

दुर्गसिंह पुत्र पहाड़ सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम कूंकरा तह0 सैंपऊ जिला धौलपुर

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये
1. जिला कलक्टर, धौलपुर
2. तहसीलदार, सैंपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88 व 89 आरटी एक्ट

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हरीसिह लम्बोरा (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री विनोदकुमार भार्गव एडवोकेट मिनजानिव मुद्दायलह श्री राजेन्द्रसिह राना एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादी ड्रिकी किया जाकर वादी को विवादित खसर नम्बर हाल 526 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा तथा 527 रकवा 17 विस्वा स्थित वाके ग्राम कूकरा मांकरा (वर्तमान में केकरा) तहसील सैपऊ जिला धौलपुर का गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किये जावे।

वशव्द मेरे एंव मुहर अदालत से आज दिनांक 18.092019 को जारी की गई।

(हरिसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ (धौलपुर)